न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा, आई0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :–120/2016/टोंक (2016/00053)

1. रोडू पुत्र रामधन जाट, निवासी कांटोली, तह0 मालपुरा, जिला टोंक ।

अपीलांट

बनाम

1. तहसीलदार, मालपुरा, जिला टोंक ।
2. ठाकुर गोपालजी महाराज विराजमान, कांटोली, तह0 मालपुरा, जिला टोंक ।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार, मालपुरा दिनांक 29.7.2016 अंतर्गत नामांतकरण संख्या 3510.

उपस्थितः–

1. श्री मुकेश जैन, वकील अपीलांट ।
2. श्री बी0एस0 शेखावत, वकील रेस्पो0 संख्या 1 पैरोकार सरकार ।
3. रेस्पो0 संख्या 2 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक :– 30.10.2018

अपीलांट्स ने यह अपील तहसीलदार, मालपुरा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.7.2016 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार, मालपुरा ने ग्राम कांटोली, तहसील मालपुरा के खसरा नंबरान 1223, 1224, 1225, 1226, 1230/2, 1231, 1232, 1233, 1234, 1237 कुल किता 10 कुल रकबा 10–07–00 बीघा बाबत् नामांतकरण संख्या 3510 दिनांक 29.7.2016 को रोडू पुत्र रामधन के स्थान पर ठाकुर गोपालजी महाराज विराजमान कांटोल के नाम स्वीकृत किया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से अप्रसन्न होकर अपीलांट्स ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट संख्या 2 बावजूद सूचना के अनपुस्थित । प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के संबंध में विपक्षी द्वारा किसी भी प्रकार का इजराय प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था परन्तु इसके बावजूद तहसीलदार, मालपुरा ने बिना इजराय के सीधे ही अपीलाधीन नामांतकरण तस्दीक कर दिया जो अवैधानिक है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि विवादित आराजियात बाबत् राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक ने निर्णय व डिक्री दिनांक 14.7.2016 द्वारा अपील स्वीकार की थी जिसके विरूद्ध अपीलांट ने मान0 राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में अपील संख्या 5360/2016 रोडू बनाम ठाकुल गोपाल जी महाराज प्रस्तुत की जाने पर मान0 मण्डल ने दिनांक 26.6.2016 को अपील विचारार्थ ग्रहण करते हुए राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक के निर्णय व डिक्री दिनांक 14.7.2016 में पारित निर्णय व डिक्री की पालना स्थगित किये जाने के आदेश पारित किये थे परन्तु इसके बावजूद तहसीलदार ने मान0 मण्डल द्वारा विवादित आराजियात बाबत् स्थगन आदेश जारी होने के बावजूद दिनांक 29.7.2016 को तथाकथित नामांतकरण तस्दीक किया है जो विधिविरूद्ध है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा में तथाकथित नामांतकरण संख्या 3510 दिनांक 29.7.2016 को स्वीकृत किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर तहसीलदार, मालपुरा द्वारा पारित नामांतकरण संख्या 3510 दिनांक 29.7.2016 निरस्त किया जावे । xx

4- रेस्पो0 संख्या 1 विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अनुसार प्रकरण का निरस्तारण किया जावे ।

5- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अपीलांट के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम कांटोली, तहसील मालपुरा अवस्थित विवादित आराजियात खसरा नंबरान 1223, 1224, 1225, 1226, 1230/2, 1231, 1232, 1233, 1234, 1237 कुल किता 10 कुल रकबा 10–07–00 बीघा भूमि रोडू पुत्र रामधन जाति जाट के नाम दर्ज थी । तहसीलदार, मालपुरा ने राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक के निर्णय व डिक्री दिनांक 14.7.2016 की पालना में विवादित आराजियात का नामांतकरण संख्या 3510 दिनांक 29.7.2016 द्वारा रोडू पुत्र रामधन, जाति जाट के बजाय रेस्पो0 संख्या 2 काफी मंदिर श्री गोपाल जी विराजमान कांटोली के नाम स्वीकृत किया है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक के निर्णय व डिक्री दिनांक 14.7.2016 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा मान0 राजस्व मण्डल में अपील संख्या 5360/2016 रोडू बनाम ठाकुर गोपाल जी प्रस्तुत की गई जिसमें मान0 मण्डल ने दिनांक 26.7.

2016 को मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु स्थगन आदेश पारित किये है जबकि तथाकथित नामांतकरण संख्या 3510 दिनांक 29.7.2016 को तस्दीक किया गया है जो निश्चित रूप से मान0 मण्डल के स्थगन आदेश के पश्चात् अवश्य तस्दीक किया गया है किन्तु वर्तमान में न्यायालय हाजा के समक्ष अपीलांट ने नामांतकरण संख्या 3510 दिनांक 29.7.2016 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है जो कि विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक के निर्णय व डिक्री दिनांक 14.7.2016 की पालना में स्वीकृत किया जाना स्पष्ट है । न्यायालय के निर्णय व डिक्री पालना में स्वीकृत नामांतकरण के विरूद्ध न्यायालय हाजा को अपील सुनने का क्षैत्राधिकार नहीं है । राजस्थान भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 (1)(F) सपठित धारा 135 के अधीन भू–अभिलेख से संबंधित मामलों में भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा दी गई मूल आज्ञा के विरूद्ध न्यायालय हाजा को अपील सुनने का क्षैत्राधिकार है जबकि विवादित नामांतकरण संख्या 3510 दिनांक 29.7.2016 का मूल आधार न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री है तथा इस मूल आदेश की पालना में खोला गया नामांतकरण सक्षम न्यायालय द्वारा पारित डिक्री का Extension व Execution है एवं ऐसे मूल आदेश की अपील सुनने का क्षैत्राधिकार न्यायालय हाजा को नहीं होने से सक्षम न्यायालय में ही चुनौती दी जा सकती है । अपीलांट मान0 मण्डल के स्थगन आदेश की अवहेलना के संबंध में सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने को स्वतंत्र है ।

6- उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट अपास्त योग्य तथा तहसीलदार, मालपुरा द्वारा पारित नामांतकरण संख्या 3510 दिनांक 29.7.2016 यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 120/2016 (2016/00053) बउनवानी रोडू पुत्र तहसीलदार, मालपुरा को अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार, मालपुरा द्वारा स्वीकृत नामांकरण संख्या 3510 दिनांक 29.7.2016 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 30.10.2018 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kishore Kumar Sharma
Date: 2018.11.01 10:39:38 IST
Reason: SelfAttested
Location: